सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2014 / 00276 दर्ज तिथिः—17.10.2016

1. नरसींगाराम पुत्र लिखमाराम
2. रामाराम पुत्र रावताराम
3. हनुमानराम पुत्र रावताराम
4. पाबूराम पुत्र रावताराम
5. हरखाराम पुत्र रावताराम
6. लेहरोदेवी पत्नी रावताराम
7. बाबूराम पुत्र दूदाराम
8. हुकमाराम पुत्र दूदाराम
9. पारस पुत्र दूदाराम
10. कमलादेवी पत्नी दूदाराम

जाति सुथार निवासी बुधररोणी हुडो की ढाणी निम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाडमेर।

.....वादीगण

बनाम

1. देदाराम पुत्र डुंगराराम (फौत) के कायम मुकाम
   1/1 डालूराम पुत्र देदाराम
   1/2 मिश्राराम पुत्र देदाराम
2. लुम्भाराम पुत्र डूंगराराम (फौत) के कायम मुकाम
   2/1 जवाराराम पुत्र लुम्भाराम(फौत) के कायम मुकाम
      2/1/1— इमरतीदेवी पत्नी जवाराराम
      2/1/2 —सवाईराम पुत्र जवाराराम
      2/1/3 —चन्दू पुत्री जवाराराम
      2/1/4 —जसोदा पुत्र जवाराराम
      2/1/5 —रेखा पुत्र जवाराराम
      2/1/6 —दिनेश पुत्र जवाराराम
   2/2 शंकराराम पुत्र लुम्भाराम
   2/3 बाबूराम पुत्र लुम्भाराम
   2/4 भंवराराम पुत्र लुम्भाराम
   2/5 रामाराम पुत्र लुम्भाराम
   2/6 नैनाराम पुत्र लुम्भाराम
   2/7 गैरोदेवी पत्नी लुम्भाराम
3. भारूराम पुत्र डूगराराम फौत के कायम मुकाम
   3/1 कसुम्बी पत्नी भारूराम
   3/2 आसी पुत्र भारूराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

3/3 गेनी पुत्र भारूराम
3/4 रामाराम पुत्र भारूराम
3/5 अजमाल पुत्र भारूराम

4. भीखाराम पुत्र डूंगरारमा फौत के कायम मुकाम
   4/1. हरूराम पुत्र भीखाराम
   4/2 रामाराम पुत्र भीखाराम
   4/3 मोहनराम पुत्र भीखाराम
   4/4 लक्ष्मण पुत्र भीखाराम
   4/5 प्रभु पुत्र भीखाराम
   4/6 मूलीदेवी पत्नी भीखाराम
5. रिड़मलराम पुत्र चेनाराम फौत के कायम मुकाम
   5/1 मीरोदवी पत्नी रिड़मलराम
   5/2 अन्तरीदेवी पुत्री रिड़मलराम
   5/3 केशु पुत्री रिड़मलराम
   5/4 नेनू पुत्री रिड़मलराम
   5/5 तीजो पुत्री रिड़मलराम
   5/6 जुंजी पुत्री रिड़मलराम
   5/7 कमला पुत्री रिड़मलराम
   5/8 समु पुत्री रिड़मलराम
   5/9 रामाराम पुत्र रिड़मलराम फौत के कायम मुकाम
      5/9/1 जसराज पुत्र रामाराम
      5/9/2 भावना पुत्री रामाराम
      5/9/3 मोहन पुत्र रामाराम
      5/9/4 पार्वती पुत्री रामाराम
      5/9/5 सन्तोष पत्नी रामाराम
6. भूराराम पुत्र चेनाराम फौत के कायम मुकाम
   6/1 मांगीलाल पुत्र भूराराम
   6/2 नोजीदेवी पुत्री भूराराम
   6/3 भंवरीदेवी पुत्री भूराराम
   6/4 पदमाराम पुत्र भूराराम
   6/5 टीकमाराम पुत्र भूराराम
   6/6 जेयाराम पुत्र भूराराम
   6/7 सुआदेवी पत्नी भूराराम
7. हीराराम पुत्र हिमताराम
8. नगाराम पुत्र हिमताराम
9. पूराराम पुत्र नीम्बाराम
10. हरचन्द पुत्र नीम्बाराम
11. जालाराम पुत्र नीम्बाराम
12. नवलाराम पुत्र नीम्बाराम
    जाति सुथार निवासी बुधरोणी हुडो की ढाणी निम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।
13. बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ—ओपरेटिव बैंक शाखा सिणधरी
14. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिणधरी।

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीः—श्री जोगराज पोटलिया

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से हैः—

- कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी तहसील नौखड़ा में अवस्थित मुतनाजा आराजी का विवरण निम्न प्रकार है—

खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)
72	53—19
80	48—16
79	0—14
82	86—13
75	107—17
74	82—15
76	0—04
78	29—18
73/3	15—02
73	45—04

- कि उक्त मुतनाजा आराजी के मूल खसरा व मूल रकबा में से कुछ भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करने तथा सहमति से विभाजन करने के पश्चात शेष भूमि उक्तानुसार मुतनाजा आराजी है।
- कि पक्षकारान के वालिद उतमाराम का देहांत वक्त बंदोबस्त से पहले हो चूका है। उतमाराम की फौत होने के बाद उसके पांचों पुत्र डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा मुतनाजा आराजी पर संयुक्त रूप से काश्त करते थे। मुतनाजा आराजी में उतमाराम के पांचों पुत्रों का बराबर हिस्सा था। उक्त परिवार के मुखिया डुंगराराम व निंबाराम थे। उक्त आराजी का बंदोबस्त के समय पैमाईश भी डुंगराराम व निंबाराम ने करवाई थी।
- कि खसरा संख्या 72/55—09 बीघा, 80/48—16 बीघा का पर्चा लगान डुंगरा, खसरा संख्या 79/0—14 बीस्वा का पर्चा लगान डुंगरा,चेना व लिखमा पिसरान उतमा, खसरा संख्या 82/87—02 बीघा का पर्चा लगान डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा पिसरान उतमा, खसरा संख्या 75/109—07 का पर्चा लगान निंबा वल्द उतमा, खसरा संख्या 74/53—03 बीघा का पर्चा लगान लिखमा वल्द उतमा, खसरा संख्या 73/60—19 बीघा, 78/29—18 बीघा, 76/04 बिस्वा का पर्चा लगान हिमता वल्द उतमा व खसरा संख्या 82/87—02 का पर्चा लगान डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा पिसरान उतमा के नाम से जारी किया गया। असल में उतमा के पांचो पुत्रों को बराबर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

1/5—1/5 आराजी मिलनी चाहिए थी। परंतु वक्त बंदोबस्त असमान आराजी का पर्चा लगान जारी कर दिया।

- कि वादी और प्रतिवादी संख्या 01—12 का एक ही संयुक्त परिवार है। उक्त संयुक्त परिवार का एक ही पुरूष पूर्वज उतमाराम है। जिसका वंशवृक्ष निम्न प्रकार है—

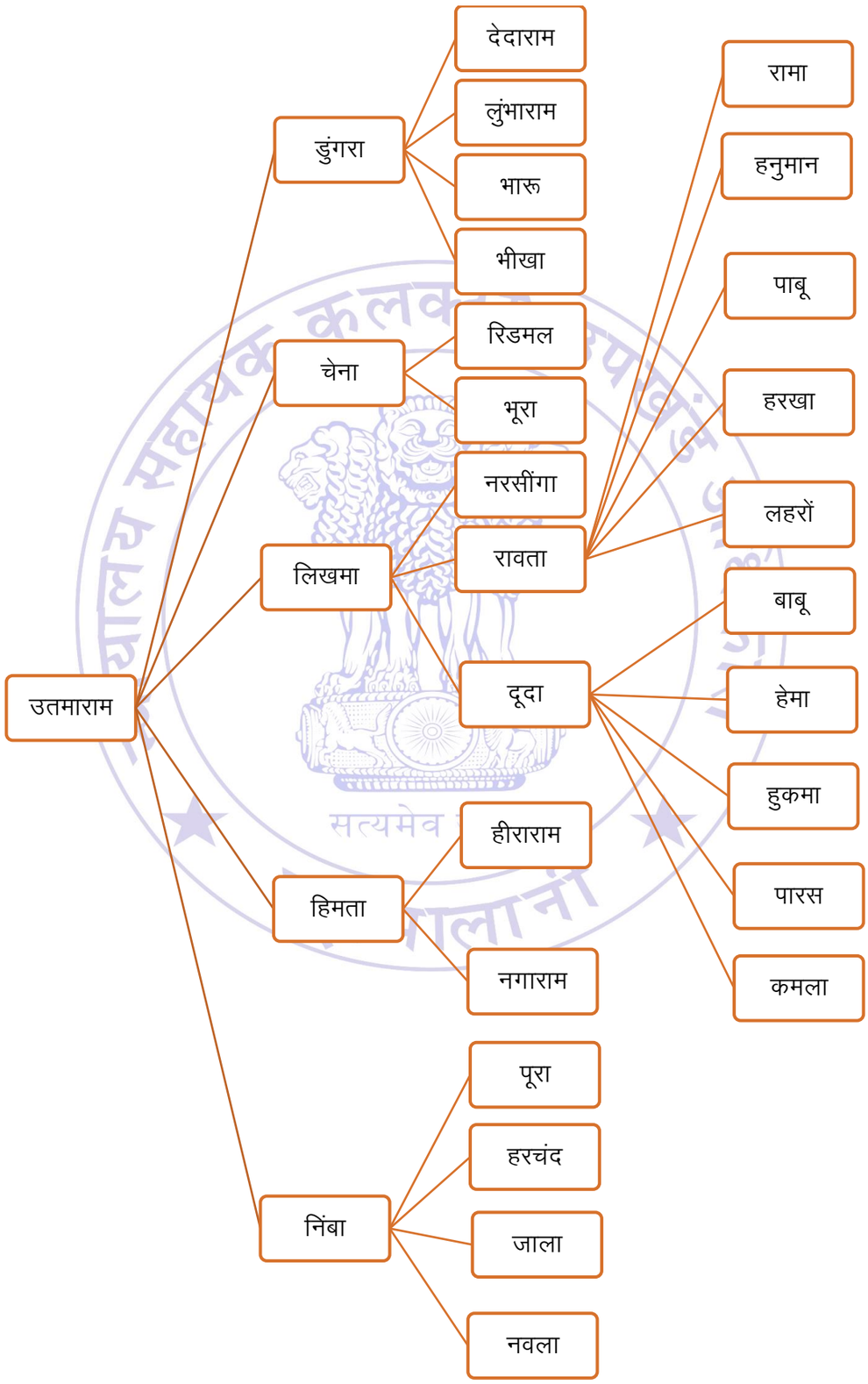

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

- कि मुतनाजा आराजी पर उतमा के पांचो पुत्र मौके पर बराबर—बराबर काबिज काश्त एवं ढाणी बनाकर रहवास करते है। असल में उतमा के पांचो पुत्रों को बराबर 1/5—1/5 आराजी मिलनी चाहिए थी। परंतु वक्त बंदोबस्त असमान आराजी का पर्चा लगान जारी कर दिया। इस कारण प्रतिवादी वादीगण को बेदखल करने की धमकी देते है।
- इस कारण वादीगण को घोषणा का दावा प्रस्तुत करना पड़ा है। वादी का निवेदन है कि वादी मुतनाजा आराजी मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी के खसरा संख्या 72 व 80 कुल रकबा 104—05 बीघा, खसरा संख्या 79 रकबा 0—14 बीघा, खसरा संख्या 82 रकबा 87—02 बीघा, खसरा संख्या 75 रकबा 109—07 बीघा, खसरा संख्या 74 रकबा 83—03 बीघा, खसरा संख्या 76, 78, 73/3 कुल रकबा 45—04 बीघा व खसरा संख्या 73 रकबा 45—04 बीघा भूमि में डुंगरा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01—04 का 1/5 हिस्सा, चेना के वारिसान प्रतिवादी संख्या 05—06 का 1/5 हिस्सा, वादीगण लिखमा के वारिसान का 1/5 हिस्सा, हिमता के वारिसान प्रतिवादी संख्या 07—08 का 1/5 हिस्सा एवं निंबा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 09—12 का 1/5 हिस्सा घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादी के खातेदारी आराजी में किसी प्रकार का दखल नहीं देवे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन कियाः—
    - कि उक्त मुतनाजा आराजी संयुक्त परिवार के पुरूष पूर्वज उतमाराम की पैतृक कृषि आराजी थी। उतमाराम के फौत होने पर विरासत में उसके पांचो पुत्रों डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा पिसरान उतमाराम को प्राप्त हुई। उतमाराम का देहांत बंदोबस्त प्रक्रिया से पूर्व ही हो चुका था। वक्त बंदोबस्त से पूर्व ही उतमाराम के पांचो पुत्र डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा पिसरान उतमाराम पांचो आपस में अलग—अलग हो चुके थे। इसी प्रकार पांचो अलग—अलग आराजी पर काबिज काश्त थे।
    - कि बंदोबस्त प्रक्रिया के समय खसरा संख्या 72/55—09 बीघा, 80/48—16 बीघा का पर्चा लगान डुंगरा, खसरा संख्या 79/0—14 बीस्वा का पर्चा लगान डुंगरा,चेना व लिखमा पिसरान उतमा, खसरा संख्या 82/87—02 बीघा का पर्चा लगान डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा पिसरान उतमा, खसरा संख्या 75/109—07 का पर्चा लगान निंबा वल्द उतमा, खसरा संख्या 74/53—03 बीघा का पर्चा लगान लिखमा वल्द उतमा, खसरा संख्या 73/60—19 बीघा, 78/29—18 बीघा, 76/04 बिस्वा का पर्चा लगान हिमता वल्द उतमा व खसरा संख्या 82/87—02 का पर्चा लगान डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा पिसरान उतमा के नाम से जारी किया गया। इसी प्रकार बंदोबस्त प्रक्रिया के समय पर्चा लगान वादीगण के वालिद उभय पक्षकारान के नाम सही जारी हुआ। क्योंकि वक्त बंदोबस्त उतमाराम के पांचो पुत्र अलग—अलग होकर अपनी अपनी आराजी पर काबिज काश्त थे।
    - कि वक्त बंदोबस्त उतमाराम के पांचो पुत्र अलग—अलग होकर अपनी अपनी आराजी पर काबिज काश्त होने के कारण वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में तनकियात कायम किए गए। प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के अवलोकन पश्चात उभयपक्षकारों के मध्य विवाद के मुख्य बिन्दु निर्धारित करने हेतु निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—

1. *आया वादी मुतनाजा आराजी मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी के खसरा संख्या 72 व 80 कुल रकबा 104—05 बीघा, खसरा संख्या 79 रकबा 0—14 बीघा, खसरा संख्या 82 रकबा 87—02 बीघा, खसरा संख्या 75 रकबा 109—07 बीघा, खसरा संख्या 74 रकबा 83—03 बीघा, खसरा संख्या 76, 78, 73/3 कुल रकबा 45—04 बीघा व खसरा संख्या 73 रकबा 45—04 बीघा भूमि में डुंगरा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01—04 का 1/5 हिस्सा, चेना के वारिसान प्रतिवादी संख्या 05—06 का 1/5 हिस्सा, वादीगण लिखमा के वारिसान का 1/5 हिस्सा, हिमता के वारिसान प्रतिवादी संख्या 07—08 का 1/5 हिस्सा एवं निंबा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 09—12 का 1/5 हिस्सा खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है।*

   .....वादीगण

2. *आया वादग्रस्त भूमि पर वक्त बंदोबस्त पूर्व ही उतमाराम के पांचों पुत्रों अलग—अलग निवास करते थे और अलग—अलग ही काश्त करने के कारण वक्त सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा उतमाराम के पांचों पुत्रों के कब्जे अनुसार ही सेटलमेंट किया गया और सेटलमेंट के बाद आदिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण कब्जा काश्त करते आ रहे है।*

   .....प्रतिवादीगण

3. *आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने व वादपत्र में कब्जा प्राप्ति की ईस्तदुआ नहीं मांगने के कारण बिना कब्जा प्राप्ति खातेदारी घोषणा का दावा पेश नहीं किए जा सकने के कारण वादी का वाद खारिज योग्य है।*

   .....प्रतिवादीगण

4. *अन्य दादरसी*

   .....उभय—पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 26 संवत 2068—71 मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी	प्रदर्श—01
जमाबंदी	खाता संख्या 25 संवत 2068—71 मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी	प्रदर्श—02
जमाबंदी	खाता संख्या 48 संवत 2068—71 मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी	प्रदर्श—03
जमाबंदी	खाता संख्या 34 संवत 2068—71 मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी	प्रदर्श—04
जमाबंदी	खाता संख्या 47 संवत 2068—71 मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी	प्रदर्श—05
जमाबंदी	खाता संख्या 60 संवत 2068—71 मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी	प्रदर्श—06
नक्शा ट्रेस	मौजा बुधरोणी हुडों की ढाणी	प्रदर्श—07
जमाबंदी	जमाबंदी वक्त बंदोबस्त	प्रदर्श—08
जमाबंदी	जमाबंदी वक्त बंदोबस्त	प्रदर्श—09
जमाबंदी	जमाबंदी वक्त बंदोबस्त	प्रदर्श—10

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
नरसींगाराम पुत्र लिखमाराम	सुथार	बुधरोणी हुडो की ढाणी	पी0डब्ल्यू—1
रामाराम पुत्र रावताराम	सुथार	बुधरोणी हुडो की ढाणी	पी0डब्ल्यू—2
हेमाराम पुत्र दुदाराम	सुथार	बुधरोणी हुडो की ढाणी	पी0डब्ल्यू—3
नेकू मोहम्मद पुत्र धनिना	मुसलमान	सड़ेचा	पी0डब्ल्यू—4
गेनाराम पुत्र भोजाराम	जाट	नौखड़ा	पी0डब्ल्यू—5
नेनाराम पुत्र चोलाराम	जाट	नौखड़ा	पी0डब्ल्यू—6
भोजाराम पुत्र दमाराम	जाट	नौखड़ा	पी0डब्ल्यू—7
नेनाराम पुत्र चोलाराम	जाट	आडेल	पी0डब्ल्यू—8
हनीक पुत्र सरादीन	मुसलमान	सड़ेचा	पी0डब्ल्यू—9

6. प्रकरण में वादीगण के गवाहों द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

- उक्त मुतनाजा आराजी के मूल खसरा व मूल रकबा में से कुछ भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करने तथा सहमति से विभाजन करने के पश्चात शेष भूमि उक्तानुसार मुतनाजा आराजी है।
- कि पक्षकारान के वालिद उतमाराम का देहांत वक्त बंदोबस्त से पहले हो चूका है। उतमाराम की फौत होने के बाद उसके पांचों पुत्र डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा मुतनाजा आराजी पर संयुक्त रूप से काश्त करते थे। मुतनाजा आराजी में उतमाराम के पांचों पुत्रों का बराबर हिस्सा था। उक्त परिवार के मुखिया डुंगराराम व निंबाराम थे। उक्त आराजी का बंदोबस्त के समय पैमाईश भी डुंगराराम व निंबाराम ने करवाई थी।
- कि खसरा संख्या 72/55—09 बीघा, 80/48—16 बीघा का पर्चा लगान डुंगरा, खसरा संख्या 79/0—14 बीस्वा का पर्चा लगान डुंगरा,चेना व लिखमा पिसरान उतमा, खसरा संख्या 82/87—02 बीघा का पर्चा लगान डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा पिसरान उतमा, खसरा संख्या 75/109—07 का पर्चा लगान निंबा वल्द उतमा, खसरा संख्या 74/53—03 बीघा का पर्चा लगान लिखमा वल्द उतमा, खसरा संख्या 73/60—19 बीघा, 78/29—18 बीघा, 76/04 बिस्वा का पर्चा लगान हिमता वल्द उतमा व खसरा संख्या 82/87—02 का पर्चा लगान डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा पिसरान उतमा के नाम से जारी किया गया। असल में उतमा के पांचो पुत्रों को बराबर 1/5—1/5 आराजी मिलनी चाहिए थी। परंतु वक्त बंदोबस्त असमान आराजी का पर्चा लगान जारी कर दिया।
- कि मुतनाजा आराजी पर उतमा के पांचो पुत्र मौके पर बराबर—बराबर काबिज काश्त एवं ढाणी बनाकर रहवास करते है। असल में उतमा के पांचो पुत्रों को बराबर 1/5—1/5 आराजी मिलनी चाहिए थी। परंतु वक्त बंदोबस्त असमान आराजी का पर्चा लगान जारी कर दिया। इस कारण प्रतिवादी वादीगण को बेदखल करने की धमकी देते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

- इस कारण वादीगण को घोषणा का दावा प्रस्तुत करना पड़ा है। वादी का निवेदन है कि वादी मुतनाजा आराजी मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी के खसरा संख्या 72 व 80 कुल रकबा 104—05 बीघा, खसरा संख्या 79 रकबा 0—14 बीघा, खसरा संख्या 82 रकबा 87—02 बीघा, खसरा संख्या 75 रकबा 109—07 बीघा, खसरा संख्या 74 रकबा 83—03 बीघा, खसरा संख्या 76, 78, 73/3 कुल रकबा 45—04 बीघा व खसरा संख्या 73 रकबा 45—04 बीघा भूमि में डुंगरा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01—04 का 1/5 हिस्सा, चेना के वारिसान प्रतिवादी संख्या 05—06 का 1/5 हिस्सा, वादीगण लिखमा के वारिसान का 1/5 हिस्सा, हिमता के वारिसान प्रतिवादी संख्या 07—08 का 1/5 हिस्सा एवं निंबा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 09—12 का 1/5 हिस्सा घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादी के खातेदारी आराजी में किसी प्रकार का दखल नहीं देवे।
- इसके समर्थन में वादी द्वारा पैरा—04 मे अंकित दस्तावेज प्रदर्श करवाएं हैं।

7. प्रकरण में नरसींगाराम पुत्र लिखमाराम पी0डब्ल्यू—01 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि पैमाईश संवत् 2010 में हुई थी। कुल जमीन 475 बीघा है। वर्तमान में सभी पक्षकारान का अलग अलग निवास है। यह बात सही हैं कि उतमाराम के पांचों पुत्रो के नाम से अलग पैमाईश हुई थी। यह बात सही है कि विवादित भूमि के पांचों भाईयों का अलग—अलग बंटवारा हो रखा है। यह बात सही है कि अपने—अपने हिस्से पर काबिज है। मैने निम्बाराम के हिस्से से अपनी मांग कर रखी है। मेरे पांचवे हिस्से में 95 बीघा जमीन आने का अनुमान है। यह बात सही है कि हमारे खसरों का बंटवारा करवाया तो पटवारी से नकलें भी और अगुष्ठा भी करवाया गया था। यह बात सही है कि मेरी उम्र 70 वर्ष है। और इससे पहले दावा नहीं किया है। लोगों ने कहा कि हम आपको पांचवा हिस्सा दिला देंगे।

8. प्रकरण में रामाराम पुत्र रावताराम पी0डब्ल्यू—02 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि राजस्व रिकॉर्ड में अलग—अलग खसरे व अलग—अलग नाम से दर्ज है। कहा कि भूमि की पैमाईश लिखमाराम के नाम हुई थी। अजखुदका कहा कि भूमि पांचों भाईयों के नाम होनी थी। विवादित भूमि में कम्पनी की पाईप लाईन आई हुई है। निम्बाराम के खेत में से पाईप लाइन निकली हुई है जिसका कंपनी द्वारा निम्बाराम को मुहावजा दिया गया था। हमे कोई मुहावजा नही दिया गया था। तारबंदी कितने बीघा खेत में की है मुझै ध्यान में नही है। खेत के अन्दर से रोड़ निकली हुई है। हमारा खेत रोड़ के दोनो साइड आया हुआ है। निम्बाराम के हिस्से में भी सड़क है। सड़क निकालने के समय व पाइपलाइन निकालने के समय हमे किसी प्रकार का नोटिस नहीं मिला था। यह बात सही है कि भाईयों बंट में जमीन कम हुई है।

9. प्रकरण में हेमाराम पुत्र दुदाराम पी0डब्ल्यू—03 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि सेटलमेंट मेरे व मेरे पिता के जन्म से पहले हो गया था। हमारे पास जमीन कम है यह बात मेरे दादा व पिता को ध्यान में थी। कहा कि मेरे पिता के देहांत के समय मैं छोटा था। कहा कि मेरे पिता के हम आठ संतान होने के बाद देहांत हुआ था। मेरे पिता का देहांत लगभग 45—50 की उम्र में हो गया था। विवादित भूमि में पाईपलाइन नहीं है बल्कि पोइंट है जो बंद है। मेरे दादा का देहांत उसकी शादी होने व मेरे पिता का जन्म होने के बाद हुआ था। मेरे पिता के तीन भाई है। मेरे

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

पिता ने अपने जीवनकाल में दावा नहीं किया था। मेरे पिता का देहांत लगभग 45—50 की उम्र में हुआ था।

10. प्रकरण में नेकू मोहम्मद पुत्र धनिना पी0डब्ल्यू—04 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि सेटलमेंट मेरे जन्म से पहले संवत 2012—13 में हुआ था। कहा कि वादीगण के पास जमीन कम है तथा पांच भाईयों का परिवार है। जबकि बराबर—बराबर हिस्सा होना चाहिए। उतमाराम के पांचों पुत्रो को बराबर जमीन आनी चाहिए। कहा कि नरसीगाराम व अन्य के हिस्से में कितनी जमीन है ये मालूम नहीं है लेकिन शादी विवाह में या अन्य लोगो से सुना है कि वादीगण के हिस्से में जमीन कम है।

11. प्रकरण में गेनाराम पुत्र भोजाराम पी0डब्ल्यू—05 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए गए कि लिखमाराम के नाम रिकॉर्ड में कितनी जमीन है मुझे पता नहीं है। बाद में कहा कि मौके पर सभी का बराबर कब्जा है। निंबाराम व वादीगण के खेत में पाईपलाईन निकल रही हो, मुझे ध्यान नहीं है। इसका मुहावजा दे रहे है या नहीं दे रहे है, मुझे ध्यान नहीं है। मौके पर वादीगण का रहवासी ढाणी,टांका इत्यादि बना व कब्जा काश्त है।

12. प्रकरण में नेनाराम पुत्र चोलाराम पी0डब्ल्यू—06 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि नरसींगाराम का जहां कब्जा है वहां खेती करते है। यह बात सही है कि नरसींगाराम का जहां कब्जा है वहां खेती करते है। यह बात सही है कि वादीगण कितनी भूमि की मांग कर रहे है। अजखुदका कहा कि उतमा के पांचों लड़कों का बराबर हक होना चाहिए।

13. प्रकरण में भोजाराम पुत्र दमाराम पी0डब्ल्यू—07 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि लिखमा के पुत्र वादीगण नरसींगाराम को जमीन कम मिली है। कितनी कम मिली है मुझे पता नहीं है। उतमाराम के पांचों लड़के मेरे लिए बराबर है और मैं उतमाराम के पाचों लड़कों के परिवार में आना जाना होता रहता है। निंबाराम के खेत में कंपनी का पोइंट आया हुआ है। निंबाराम को किराया देते है तो मुझे पता नहीं है। निंबाराम के अलग खेत में ही कंपनी का पोइंट है जो निंबाराम के स्वयं का आया हुआ है। कंपनी कोई लाइन निकालता है तो कंपनी किराया देती है तो मुझे पता नहीं है। कंपनी के आने से जमीन कम होने से चर्चा अधिक होने लगी। अजखुदका कहा कि जमीन की चर्चा पहले भी होती थी।

14. प्रकरण में नेनाराम पुत्र चोलाराम पी0डब्ल्यू—08 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरे पड़ौसी होने के कारण मुझे पता है कि उतमाराम के पांच लड़के है। उतमाराम के कुल पांच लड़को को बहिस्सा बराबर बंटवारा में जमीन नहीं मिली हुई है। कुछ को कम और कुछ को ज्यादा मिली हुई है। यह बात सही है कि उतमाराम के पांचों लड़के अपने—अपने हिस्से पर काबिज है और काश्त करते है। हकीकत में कुछ हो लेकिन नरसींगाराम के हिस्से में जमीन कम है। यह बात सही है कि जमीन कम होने के कारण बंदोबस्त में अलग—अलग भाईयों के नाम नपी है। प्रकरण में हनीक खान पुत्र सरादीन खान पी0डब्ल्यू—09 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन के अभिकथन सारहीन होने के कारण अप्रासांगिक है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

15. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
पुराराम पुत्र निम्बाराम	सुथार	बुधरोणी हुडो की ढाणी	डी0डब्ल्यू—1
डालूराम पुत्र देदाराम	सुथार	बुधरोणी हुडो की ढाणी	डी0डब्ल्यू—2
जालाराम पुत्र निम्बाराम	सुथार	बुधरोणी हुडो की ढाणी	डी0डब्ल्यू—3
हरचन्दराम पुत्र निम्बाराम	सुथार	बुधरोणी हुडो की ढाणी	डी0डब्ल्यू—04
शंकराराम पुत्र लुम्भाराम	सुथार	बुधरोणी हुडो की ढाणी	डी0डब्ल्यू—05
रामाराम पुत्र भीखाराम	सुथार	बुधरोणी हुडो की ढाणी	डी0डब्ल्यू—06
केसाराम पुत्र मोटाराम	सुथार	बुधरोणी हुडो की ढाणी	डी0डब्ल्यू—07
चिमाराम पुत्र लिछमणाराम	सुथार	बुधरोणी हुडो की ढाणी	डी0डब्ल्यू—08

16. प्रकरण में प्रतिवादीगण के गवाहों द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

- कि कि उक्त मुतनाजा आराजी संयुक्त परिवार के पुरूष पूर्वज उतमाराम की पैतृक कृषि आराजी थी। उतमाराम के फौत होने पर विरासत में उसके पांचो पुत्रों डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा पिसरान उतमाराम को प्राप्त हुई। उतमाराम का देहांत बंदोबस्त प्रक्रिया से पूर्व ही हो चुका था। वक्त बंदोबस्त से पूर्व ही उतमाराम के पांचो पुत्र डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा पिसरान उतमाराम पांचो आपस में अलग—अलग हो चुके थे। इसी प्रकार पांचो अलग—अलग आराजी पर काबिज काश्त थे।
- कि बंदोबस्त प्रक्रिया के समय खसरा संख्या 72/55—09 बीघा, 80/48—16 बीघा का पर्चा लगान डुंगरा, खसरा संख्या 79/0—14 बीस्वा का पर्चा लगान डुंगरा,चेना व लिखमा पिसरान उतमा, खसरा संख्या 82/87—02 बीघा का पर्चा लगान डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा पिसरान उतमा, खसरा संख्या 75/109—07 का पर्चा लगान निंबा वल्द उतमा, खसरा संख्या 74/53—03 बीघा का पर्चा लगान लिखमा वल्द उतमा, खसरा संख्या 73/60—19 बीघा, 78/29—18 बीघा, 76/04 बिस्वा का पर्चा लगान हिमता वल्द उतमा व खसरा संख्या 82/87—02 का पर्चा लगान डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा पिसरान उतमा के नाम से जारी किया गया। इसी प्रकार बंदोबस्त प्रक्रिया के समय पर्चा लगान वादीगण के वालिद उभय पक्षकारान के नाम सही जारी हुआ। क्योंकि वक्त बंदोबस्त उतमाराम के पांचो पुत्र अलग—अलग होकर अपनी अपनी आराजी पर काबिज काश्त थे।
- कि वक्त बंदोबस्त उतमाराम के पांचो पुत्र अलग—अलग होकर अपनी अपनी आराजी पर काबिज काश्त होने के कारण वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

17. प्रकरण में डालूराम पुत्र देदाराम डी0डब्ल्यू—01 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि उतमाराम के पांचों लड़को के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ है। उतमाराम के सेटलमेंट से पहले फौत हो जाने से उनका नाम सेटलमेंट में नहीं आया हो ये मुझे पता नहीं। सेटलमेंट मेरे हाजा डुंगराराम के नाम हुआ था। यह कहना सही है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

डूंगराराम, चिमनाराम, लिखमाराम, हिमथाराम व निंबाराम पांचों लड़के उतमाराम के है। सभी काश्तकार खातेदार अपने—अपने हिस्से मे काबिज है। यह कहना गलत है कि जमीन की कीमतों की दर बढने से लिखमाराम के परिवार को जमीन नहीं देना चाहते। उक्त जमीन हमारी है। उतमाराम के परिवार में डुंगराराम बड़ा भाई है। मेरा जन्म सेटलमेंट के बाद हुआ था। हम चार भाईयों का खेत में समान हिस्सा है।

18. प्रकरण में पुराराम पुत्र निंबाराम डी0डब्ल्यू—02 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मैं निंबाराम का बेटा हुं। निंबाराम उतमाराम का बेटा है। यह कहना सही है कि वक्त सेटलमेंट उतमाराम फौत हो चुका था। यह कहना गलत है कि उतमाराम फौत होने पर जमीन उनके पुत्रों के नाम हुई। यह कहना सही है कि विवादित आराजी निम्बाराम ने मोल नहीं रखी है। यह जमीन पैतृक है। उक्त आराजी किसी भी खातेदारों ने मोल नहीं रखी थी। जमीन सभी की पैतृक आराजी हैं। यह कहना सही है कि वादीगण नरसींगाराम वगैराह अपने हिस्से की जमीन पर काश्त करते है। यह कहना सही है कि आज जमीन की कीमतों में बढोतरी होने के कारण हम वादीगण को हिस्सा देना नहीं चाहते। लिखमाराम के हिस्से की जमीन हमारे पास नहीं है।

19. प्रकरण में जालाराम पुत्र निंबाराम डी0डब्ल्यू—03 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि यह कहना सही है कि हम उतमाराम के वारिस है। यह कहना सही है कि उतमाराम के सेटलमेंट से पहले फौत होने के कारण उनके नाम से सेटलमेंट नहीं हुआ। उतमाराम के पांच लड़के है। उक्त खेत मोल रखा हुआ नहीं है। यह हमारा पैतृक खेत है। यह कहना सही है कि उतमाराम के पांचों लडको के नाम खतौनी बंदोबस्त में दर्ज हुआ था।

20. प्रकरण में हरचंद पुत्र निंबाराम डी0डब्ल्यू—04 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि उक्त जमीन हमारी पैतृक है। निंबाराम ने मोल ली हुई नहीं है। हमारा सगे चारों भाईयों का बंट बराबर है। बाकी उतमाराम के पांचों लड़कों का हिस्सा अलग—अलग है। लिखमाराम का परिवार अपने हिस्से की जमीन पर काश्त करते है।

21. प्रकरण में शंकराराम पुत्र लुंभाराम डी0डब्ल्यू—05 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए गए कि उतमाराम वक्त बंदोबस्त से पहले फौत हो गए थे। उतमाराम के पांच बेटे है। यह कहना सही है कि उतमाराम अपने जीवन में इस जमीन पर काश्त करते थे। यह कहना गलत है कि हमारी नीयत में फर्क आने के कारण उतमाराम को जमीन नहीं देना चाहते है।

22. प्रकरण में रामाराम पुत्र भीखाराम डी0डब्ल्यू—06 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन के अभिकथन सारहीन होने के कारण अप्रासांगिक है। प्रकरण में केसाराम पुत्र मोटाराम डी0डब्ल्यू—07 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि वादी व प्रतिवादी उतमाराम के परिवार से है। यह कहना सही है कि उतमाराम फौत हुआ तब उतमाराम के लड़को के नाम अलग—अलग नाम से जमीन हुई। जमीन पक्षकारान के पैतृक जमीन है। खरीद की हुई नहीं है। प्रकरण में चिमाराम पुत्र लिछमणा राम डी0डब्ल्यू—08 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि यह कहना सही है कि उतमाराम फौत हुआ तब उतमाराम के लड़को के नाम अलग—अलग नाम से जमीन हुई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

23. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी मुतनाजा आराजी मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी के खसरा संख्या 72 व 80 कुल रकबा 104—05 बीघा, खसरा संख्या 79 रकबा 0—14 बीघा, खसरा संख्या 82 रकबा 87—02 बीघा, खसरा संख्या 75 रकबा 109—07 बीघा, खसरा संख्या 74 रकबा 83—03 बीघा, खसरा संख्या 76, 78, 73/3 कुल रकबा 45—04 बीघा व खसरा संख्या 73 रकबा 45—04 बीघा भूमि में डुंगरा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01—04 का 1/5 हिस्सा, चेना के वारिसान प्रतिवादी संख्या 05—06 का 1/5 हिस्सा, वादीगण लिखमा के वारिसान का 1/5 हिस्सा, हिमता के वारिसान प्रतिवादी संख्या 07—08 का 1/5 हिस्सा एवं निंबा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 09—12 का 1/5 हिस्सा घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादी के खातेदारी आराजी में किसी प्रकार का दखल नहीं देवे। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि वक्त बंदोबस्त उतमाराम के पांचो पुत्र अलग—अलग होकर अपनी अपनी आराजी पर काबिज काश्त होने के कारण वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

24. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैंः—

    1. *आया वादी मुतनाजा आराजी मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी के खसरा संख्या 72 व 80 कुल रकबा 104—05 बीघा, खसरा संख्या 79 रकबा 0—14 बीघा, खसरा संख्या 82 रकबा 87—02 बीघा, खसरा संख्या 75 रकबा 109—07 बीघा, खसरा संख्या 74 रकबा 83—03 बीघा, खसरा संख्या 76, 78, 73/3 कुल रकबा 45—04 बीघा व खसरा संख्या 73 रकबा 45—04 बीघा भूमि में डुंगरा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01—04 का 1/5 हिस्सा, चेना के वारिसान प्रतिवादी संख्या 05—06 का 1/5 हिस्सा, वादीगण लिखमा के वारिसान का 1/5 हिस्सा, हिमता के वारिसान प्रतिवादी संख्या 07—08 का 1/5 हिस्सा एवं निंबा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 09—12 का 1/5 हिस्सा खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है।*

    .....वादीगण

25. प्रकरण में प्रथम तनकी वादी की खातेदारी आराजी की तरमीम दुरस्ती एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में मुतनाजा आराजी मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी के खसरा संख्या 72 व 80 कुल रकबा 104—05 बीघा, खसरा संख्या 79 रकबा 0—14 बीघा, खसरा संख्या 82 रकबा 87—02 बीघा, खसरा संख्या 75 रकबा 109—07 बीघा, खसरा संख्या 74 रकबा 83—03 बीघा, खसरा संख्या 76, 78, 73/3 कुल रकबा 45—04 बीघा व खसरा संख्या 73 रकबा 45—04 बीघा भूमि में डुंगरा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01—04 का 1/5 हिस्सा, चेना के वारिसान प्रतिवादी संख्या 05—06 का 1/5 हिस्सा, वादीगण लिखमा के वारिसान का 1/5 हिस्सा, हिमता के वारिसान प्रतिवादी संख्या 07—08 का 1/5 हिस्सा एवं निंबा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 09—12 का 1/5 हिस्सा घोषित करवाने से संबंधित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

26. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से संबधित है। वादी एवं प्रतिवादी का एक संयुक्त पूर्वज उतमाराम था। उतमाराम के पांच पुत्र डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा पिसरान उतमाराम थे। उतमाराम का देहांत वक्त बंदोबस्त से पूर्व ही हो गया था। वक्त बंदोबस्त के समय मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी के खसरा संख्या 72 व 80 कुल रकबा 104—05 बीघा, खसरा संख्या 79 रकबा 0—14 बीघा, खसरा संख्या 82 रकबा 87—02 बीघा, खसरा संख्या 75 रकबा 109—07 बीघा, खसरा संख्या 74 रकबा 83—03 बीघा, खसरा संख्या 76, 78, 73/3 कुल रकबा 45—04 बीघा व खसरा संख्या 73 रकबा 45—04 बीघा भूमि मुतनाजा आराजी का पर्चा लगान उतमाराम के पांच पुत्र डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा के नाम दर्ज हुआ। इस संबंध में वादी व प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नहीं है।

27. प्रकरण में वादी का अभिकथन है कि मुतनाजा आराजी मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी के खसरा संख्या 72 व 80 कुल रकबा 104—05 बीघा, खसरा संख्या 79 रकबा 0—14 बीघा, खसरा संख्या 82 रकबा 87—02 बीघा, खसरा संख्या 75 रकबा 109—07 बीघा, खसरा संख्या 74 रकबा 83—03 बीघा, खसरा संख्या 76, 78, 73/3 कुल रकबा 45—04 बीघा व खसरा संख्या 73 रकबा 45—04 बीघा भूमि में डुंगरा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01—04 का 1/5 हिस्सा, चेना के वारिसान प्रतिवादी संख्या 05—06 का 1/5 हिस्सा, वादीगण लिखमा के वारिसान का 1/5 हिस्सा, हिमता के वारिसान प्रतिवादी संख्या 07—08 का 1/5 हिस्सा एवं निंबा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 09—12 का 1/5 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार वादी व प्रतिवादीगण मुतनाजा आराजी पर मौके पर काबिज काश्त है। इस कारण मुतनाजा आराजी मौजा बुधरोणी हुडो की ढाणी के खसरा संख्या 72 व 80 कुल रकबा 104—05 बीघा, खसरा संख्या 79 रकबा 0—14 बीघा, खसरा संख्या 82 रकबा 87—02 बीघा, खसरा संख्या 75 रकबा 109—07 बीघा, खसरा संख्या 74 रकबा 83—03 बीघा, खसरा संख्या 76, 78, 73/3 कुल रकबा 45—04 बीघा व खसरा संख्या 73 रकबा 45—04 बीघा भूमि में डुंगरा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01—04 का 1/5 हिस्सा, चेना के वारिसान प्रतिवादी संख्या 05—06 का 1/5 हिस्सा, वादीगण लिखमा के वारिसान का 1/5 हिस्सा, हिमता के वारिसान प्रतिवादी संख्या 07—08 का 1/5 हिस्सा एवं निंबा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 09—12 का 1/5 हिस्सा घोषित किया जाना न्यायसंगत है।

28. प्रकरण में वादी के उक्त दावे के खंडन में प्रतिवादी का अभिकथन है कि वर्तमान में दर्ज रिकॉर्ड रकबे पर ही वादी व प्रतिवादी वक्त बंदोबस्त से काबिज काश्त है। अतः रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत नहीं है। इस संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वक्त बंदोबस्त संवत् 2012 के द्वारा वर्तमान में दर्ज रिकॉर्ड अनुसार ही पर्चा लगान जारी किया जाकर खतौनी बंदोबस्त तैयार किया गया है। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पत्र पर बयानों एवं जिरह प्रतिपरीक्षण से ज्ञात होता हैं कि वादी व प्रतिवादी वक्त बंदोबस्त के समय से ही अलग—अलग अपनी—अपनी खातेदारी आराजी पर काबिज काश्त है। यह भी निर्विवादित है कि उतमाराम की मृत्यु बंदोबस्त प्रक्रिया के समय से पूर्व हो चुकी थी। यह भी निर्विवादित है कि उतमाराम के पांच पुत्र डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा बंदोबस्त प्रक्रिया के समय से पूर्व से मौके पर अलग—अलग काबिज काश्त रहे है। बंदोबस्त प्रक्रिया संवत् 2012 वर्ष 1955 में संपन्न हुई थी। वादीगण व प्रतिवादीगण तब से करीब 60 वर्ष तक अपनी अपनी आराजी पर शांतिपूर्वक खेती

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

करते आ रहे हैं। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करवाने का कोई अभिकथन नहीं किया है। वादी द्वारा इस संबंध में भी कोई अभिकथन नहीं किया गया है कि वादीगण कितने कम रकबे पर काबिज है तथा अधिक रकबे पर कौन प्रतिवादी काबिज काश्त है। इस संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत गवाहों के अभिकथनों से भी वादी को कोई सहायता नहीं मिलती है। वादी यह स्पष्ट करने में भी असफल रहे है कि करीब 60 वर्ष पश्चात वादी को किस प्रकार वादहेतुक उत्पन्न हुआ। साथ ही वादी यह भी स्पष्ट करने में असफल रहे है कि वादी को किस खसरें में कितनी आराजी कम दर्ज हुई है। सबसे महत्वपूर्ण वादी द्वारा अपने वादपत्र या गवाहों के अभिकथनों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस प्रतिवादी के पास किस खसरे में मौके पर कितना रकबा ज्यादा कब्जे में है। इसी प्रकार दावा में उल्लेखनीय है कि वादी व प्रतिवादी करीब 60—70 वर्ष से मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से पीढीयों से काबिज काश्त है।

29. प्रकरण में वादीगण यह स्पष्ट करने में असफल रहे है कि वादीगण वक्त बंदोबस्त ज्यादा रकबे पर काबिज थे। परंतु बंदोबस्त कार्मिकों द्वारा कम आराजी का पर्चा लगान जारी कर खतौनी बंदोबस्त में कम रकबा दर्ज किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व गवाह के अवलोकन से यही प्रतीत होता है कि जितने रकबे पर वादीगण व प्रतिवादी वक्त बंदोबस्त काबिज काश्त थें। उतने ही रकबे का पर्चा लगान जारी कर खतौनी बंदोबस्त में रकबा दर्ज किया गया। प्रकरण में स्पष्ट है कि उतमाराम के पांच पुत्र डुंगरा, चेना, लिखमा, हिमता व निंबा थे। परंतु उतमा के केवल एक पुत्र लिखमा के वारिसान वादीगण के अतिरिक्त उतमा के अन्य चार पुत्रों के वारिसान को प्रतिपरीक्षण हेतु गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उतमा के केवल एक पुत्र लिखमा के वारिसान वादीगण के अतिरिक्त उतमा के अन्य चार पुत्रों के वारिसान द्वारा अपनी आराजी कम—ज्यादा होने के संबंध में कोई दावा या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

30. इस प्रकार वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभावी होने के दिनांक 15.10.1955 के समय मौके पर काबिज काश्त रकबे के अनुसार खातेदार घोषित होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या—01 को साबित करने में असफल रहे हैं। इस कारण तनकी संख्या—01 वादी के पक्ष में अस्वीकार की जाती है।

31. प्रकरण में द्वितीय व तृतीय तनकी प्रकरण में प्रथम तनकी के खंडन स्वरूप बनाई गई है जो कि प्रथम तनकी पर आधारित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम तनकी के वादी के पक्ष में स्वीकार होने के कारण द्वितीय व तृतीय तनकी पर पृथक से विश्लेषण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

32. इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व गवाह के अवलोकन से यही प्रतीत होता है कि जितने रकबे पर वादीगण व प्रतिवादी वक्त बंदोबस्त काबिज काश्त थें। उतने ही रकबे का पर्चा लगान जारी कर खतौनी बंदोबस्त में रकबा दर्ज किया गया। इस प्रकार वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभावी होने के दिनांक 15.10.1955 के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

समय मौके पर काबिज काश्त रकबे के अनुसार खातेदार घोषित होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 24.03.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2014 / 00276 दर्ज तिथिः—17.10.2016

1. नरसींगाराम पुत्र लिखमाराम
2. रामाराम पुत्र रावताराम
3. हनुमानराम पुत्र रावताराम
4. पाबूराम पुत्र रावताराम
5. हरखाराम पुत्र रावताराम
6. लेहरोदेवी पत्नी रावताराम
7. बाबूराम पुत्र दूदाराम
8. हुकमाराम पुत्र दूदाराम
9. पारस पुत्र दूदाराम
10. कमलादेवी पत्नी दूदाराम

जाति सुथार निवासी बुधररोणी हुडो की ढाणी निम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाडमेर।

.....वादीगण

बनाम

1. देदाराम पुत्र डुंगराराम (फौत) के कायम मुकाम
   1/1 डालूराम पुत्र देदाराम
   1/2 मिश्राराम पुत्र देदाराम
2. लुम्भाराम पुत्र डूंगराराम (फौत) के कायम मुकाम
   2/1 जवाराराम पुत्र लुम्भाराम(फौत) के कायम मुकाम
      2/1/1— इमरतीदेवी पत्नी जवाराराम
      2/1/2 —सवाईराम पुत्र जवाराराम
      2/1/3 —चन्दू पुत्री जवाराराम
      2/1/4 —जसोदा पुत्र जवाराराम
      2/1/5 —रेखा पुत्र जवाराराम
      2/1/6 —दिनेश पुत्र जवाराराम
   2/2 शंकराराम पुत्र लुम्भाराम
   2/3 बाबूराम पुत्र लुम्भाराम
   2/4 भंवराराम पुत्र लुम्भाराम
   2/5 रामाराम पुत्र लुम्भाराम
   2/6 नैनाराम पुत्र लुम्भाराम
   2/7 गैरोदेवी पत्नी लुम्भाराम
3. भारूराम पुत्र डूगराराम फौत के कायम मुकाम
   3/1 कसुम्बी पत्नी भारूराम
   3/2 आसी पुत्र भारूराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

3/3 गेनी पुत्र भारूराम
3/4 रामाराम पुत्र भारूराम
3/5 अजमाल पुत्र भारूराम

4. भीखाराम पुत्र डूंगरारमा फौत के कायम मुकाम
   4/1. हरूराम पुत्र भीखाराम
   4/2 रामाराम पुत्र भीखाराम
   4/3 मोहनराम पुत्र भीखाराम
   4/4 लक्ष्मण पुत्र भीखाराम
   4/5 प्रभु पुत्र भीखाराम
   4/6 मूलीदेवी पत्नी भीखाराम
5. रिड़मलराम पुत्र चेनाराम फौत के कायम मुकाम
   5/1 मीरोदवी पत्नी रिड़मलराम
   5/2 अन्तरीदेवी पुत्री रिड़मलराम
   5/3 केशु पुत्री रिड़मलराम
   5/4 नेनू पुत्री रिड़मलराम
   5/5 तीजो पुत्री रिड़मलराम
   5/6 जुंजी पुत्री रिड़मलराम
   5/7 कमला पुत्री रिड़मलराम
   5/8 समु पुत्री रिड़मलराम
   5/9 रामाराम पुत्र रिड़मलराम फौत के कायम मुकाम
      5/9/1 जसराज पुत्र रामाराम
      5/9/2 भावना पुत्री रामाराम
      5/9/3 मोहन पुत्र रामाराम
      5/9/4 पार्वती पुत्री रामाराम
      5/9/5 सन्तोष पत्नी रामाराम
6. भूराराम पुत्र चेनाराम फौत के कायम मुकाम
   6/1 मांगीलाल पुत्र भूराराम
   6/2 नोजीदेवी पुत्री भूराराम
   6/3 भंवरीदेवी पुत्री भूराराम
   6/4 पदमाराम पुत्र भूराराम
   6/5 टीकमाराम पुत्र भूराराम
   6/6 जेयाराम पुत्र भूराराम
   6/7 सुआदेवी पत्नी भूराराम
7. हीराराम पुत्र हिमताराम
8. नगाराम पुत्र हिमताराम
9. पूराराम पुत्र नीम्बाराम
10. हरचन्द पुत्र नीम्बाराम
11. जालाराम पुत्र नीम्बाराम
12. नवलाराम पुत्र नीम्बाराम

    जाति सुथार निवासी बुधरोणी हुडो की ढाणी निम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

13. बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ—ओपरेटिव बैंक शाखा सिणधरी
14. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिणधरी।

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीः—श्री जोगराज पोटलिया

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार नौखड़ा को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:45:47 IST
Reason: SelfAttested